संख्या- 60/1108/बयालिस-2015-12(निर्माण)/2012

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2015**

विषय- इटावा स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान, बैडमिन्टन हाल का जीर्णोद्धार एवं जिम्नेजियम व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध मे वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 86/नि0 इटावा स्टे0/2015-16, दिनांक 30.04.2015 एवं शासनादेश संख्या- 1431(1)/बयालिस-2013-12(निर्माण)/2013, दिनांक 06 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या- 1636/बयालिस-2014-12(निर्माण)/2013, दिनांक 24 फरवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय इटावा स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान, बैडमिन्टन हाल का जीर्णोद्धार एवं जिम्नेजियम व बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध मे पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 2041.67 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष सहमति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

(3)- स्वीकृत धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने और कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर अवमुक्त की जाये।

(4)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5)- कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी खेल निदेशालय की होगी।

(6)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्व होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त किये जाये।

(7)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(8)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारम्भ किया जायेगा।

(9)- लेवर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11)- शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या- 1431(1)/बयालिस-2013-12(निर्माण)/2012, दिनांक 06 जून, 2013 शासनादेश संख्या- 1636/बयालिस-2014-12(निर्माण)/2013, दिनांक 24 फरवरी, 2015 के अनुसार यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-21-जनपद इटावा में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान एवं जिम्नेजियम हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 60/1108(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, इटावा।
(10)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in